

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले चाय अपशिष्ट

4867. श्री जिया उर रहमान:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में कम कीमतों पर बेचे जाने वाले चाय अपशिष्ट को विनियमित करने, घटिया गुणवत्ता वाली चाय के आयात को प्रतिबंधित करने और चाय के स्वास्थ्य लाभों पर जोर देते हुए इसको बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): चाय अपशिष्ट की बिक्री चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959 द्वारा शासित होती है। घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले चाय अपशिष्ट की कीमत को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश में कोई प्रावधान नहीं है।

आयातित चाय की खेपों का भारत में आयात के समय एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुपालन के लिए परीक्षण किया जाता है। चाय बोर्ड आयातित चाय से अक्रमिक नमूने भी एकत्रित करता है और एफएसएसएआई मापदंडों के अनुपालन के लिए उनका परीक्षण करता है।

चाय बोर्ड नियमित रूप से भारतीय चाय को बढ़ावा देता है जिसमें इसके स्वास्थ्य और आरोग्य संबंधी लाभ शामिल हैं। भारतीय चाय का जेनेरिक संवर्धन चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संवर्धनात्मक कार्यक्रमों, मेलों एवं प्रदर्शनियों, चाय चखने एवं चाय नमूना संबंधी क्रियाकलापों तथा विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों में भागीदारी के माध्यम से किया जाता है।
